रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 242] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 29, 1973/आश्विन 7, 1895
No. 242] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 29, 1973/ASVINA 7, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September 1973

G.S.R. 458(E).—In pursuance of the provisions of clause (q) of section 3 of the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 (36 of 1972), the Central Government hereby specifies the 1st day of November, 1973, as the specified date for the purpose of Sub-section (1) of section 23 of the said Act.

[No. 19/26/72-CI/CC]
S. K. GUHA, Jt. Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1973

सा० का० नि० 458(अ०)—कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 (1972 का 36) की धारा 3 के खण्ड (घ) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, उक्त

अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए नवम्बर, 1973 के प्रथम दिन को विनिर्दिष्ट तारीख के रूप में एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० 19/26/72—को० 1/को०को०]

एस० के० गुह, संयुक्त सचिव

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973